

संदर्भ संख्या – 11.08.2017

अभिलेख भंडारण एवं प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने में वेंडरों के चयन  
के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग  
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5-ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003



## विषय – सूची

खंड -1.....	
.....3	
प्रस्ताव हेतु अनुरोध.....	
.....	
कार्यक्षेत्र: अभिलेख का भंडारण एवं प्रबंधन प्रणाली.....	
.....	
महत्वपूर्ण क्रियाकलापों और महत्वपूर्ण तिथियों का त्वरित अवलोकन.....	
.....	
खंड-II .....	
.....7	
बोली पूर्व बैठक.....	
पूर्व – अर्हता मापदंड.....	
प्रतिवर्तन काल (टीएटी) एवं दंड.....	
सामान्य पुनप्राप्ति: .....	
तत्काल पुनप्राप्ति: .....	
संविदा का निरस्तीकरण.....	
विवाद का निवारण.....	
तकनीकी बोली मूल्यांकन मानदंड.....	
मूल्यांकन मानदंड.....	
भुगतान की शर्तें.....	
प्रारंभिक सुरक्षा जमा राशि.....	
बोली की कीमत.....	
बोली दस्तावेज.....	
बोली दस्तावेजों का स्पष्टीकरण.....	
बोली दस्तावेजों का संशोधन.....	
प्रस्ताव प्रारूप और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया.....	19
परियोजना पृष्ठभूमि.....	
लेखा-परीक्षा.....	
खंड – IV .....	27
बोली प्रारूप.....	
प्रपत्र 1 - बोली प्रस्ताव पत्र.....	
प्रपत्र 2 - बोलीदाता का प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र.....	
प्रपत्र 3 - कार्य अनुभव प्रमाणपत्र.....	
प्रपत्र 4 - स्व घोषणा.....	
प्रपत्र 5 - अनुरूपता प्रमाणपत्र.....	
प्रपत्र 6 - लेखा परीक्षित लेखाओं के अनुसार वित्तीय विवरण.....	
प्रपत्र 7 – अभिलेख भंडारण केंद्रों की सूची.....	
प्रपत्र 8 - वाणिज्यिक बोली का प्रारूप.....	
प्रपत्र 9 – ईसीएस मेनडेट .....	

प्रपत्र 10 – कार्य-निर्वाह क्षमता प्रारूप का पत्र .....					
प्रपत्र 11 – संकल्प मैट्रिक्स .....					
प्रपत्र	12	–	सेवा	स्तरीय	करार
प्रारूप.....					

## खंड - 1

### राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

संसद के अधिनियम के तहत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक(“बैंक”अथवा “एनएचबी”) देश में आवास क्षेत्र के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान है एवं भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है। बैंक आवास वित्त कंपनियों का नियामक के अतिरिक्त विकास वित्त का प्रमुख प्रदाता भी है। बैंक विभिन्न विकासात्मक पहलों विशेष तौर पर ग्रामीण आवास एवं शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास के माध्यम से देश में आवास की कमी को दूर करने के लिए संस्थागत निधियों को उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है। बैंक को देश में आवास वित्त बाजार के समग्र विकास का कार्य सौंपा गया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है एवं मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय तथा अहमदाबाद, बंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद व कोलकाता में इसके प्रतिनिधि कार्यालय अवस्थित हैं।

### कार्यक्षेत्र: अभिलेख का भंडारण एवं प्रबंधन प्रणाली

हमारा बैंक अपने प्रधान कार्यालय एवं मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के लिए

निम्नलिखित प्रदेयों के साथ अप्रचलित भौतिक अभिलेखों के पुरालेखन, भंडारण, प्रबंधन के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाता की तलाश कर रहा है।

1. प्रारंभिक तौर पर यह प्रस्तावित प्रणाली हमारे प्रधान कार्यालय के कार्यान्वित की जाएगी। इस प्रणाली की सफलता के आधार पर यदि अपेक्षित हो इसे अन्य कार्यालयों में बढ़ाया जा सकता है।
2. सेवा प्रदाता से कम से कम पांच वर्षों के लिए निम्नलिखित कार्य निष्पादित किये जाने की अपेक्षा की जाती है।
  - i) मानक शब्दावली एवं अनुसूचियों के नष्टीकरण के आधार पर भौतिक अभिलेख यानि वाउचर, फाइल इत्यादि का पुरालेखन।
  - ii) अभिलेखों को हमारे प्रधान कार्यालय से भंडारण के स्थलों तक जीपीएस समर्थित निगरानी तंत्र से सुरक्षित पहुंचाना।
  - iii) बैंक के भौतिक अभिलेखों के भंडारण के लिए सुरक्षित एवं विश्वसनीय स्थान उपलब्ध कराना।
  - iv) अपने अभिलेख भंडारण केंद्र में बैंक के कर्मचारियों को समय-समय पर अथवा जब भी अपेक्षित हो अपने अभिलेखों के रखरखाव की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए प्राधिकृत करना।
    - क) अभिलेखों की स्थल पर पुनः प्राप्त करना
    - ख) उनके प्रधान कार्यालय को अपेक्षित अभिलेखों पुन प्राप्त कराना एवं प्रेषित करना
    - ग) अभिलेखों को अंदर व बाहर करना
    - घ) अभिलेखों का प्रमाणित नष्टीकरण
  - v) बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने अभिलेखों की पुनः प्राप्ति, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा स्थल उपलब्ध कराना।
  - vi) प्रबंधन सूचना रिपोर्ट उपलब्ध कराना

- vii) व्यापक अभिलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना एवं कमसेकम 15 समवर्ती उपयोगकर्ता लाइसेंस उपलब्ध कराना।
- viii) बैंक के अभिलेखों को मजबूत भंडारण कॉर्टूनों में अनुरक्षित करना।

बैंक अनुभवी एवं पात्र बोलीदाताओं से मुहर बंद प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

<u>बोली का विवरण</u>		
1.	बोली दस्तावेजों का संग्रह प्रारंभ करने की तिथि	11/08/2017
2.	बोली दस्तावेज संग्रह करने की अंतिम तिथि व समय	04/09/2017 17.00 बजे
3.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि व समय	04/09/2017 17.00 बजे
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि व समय	05/09/2017 12.00 बजे
5.	प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) की लागत	5,000/- रूपये (अप्रतिदेय)
6.	धरोहर राशि	50,000/- रूपये (प्रतिदेय) (पचास हजार रूपये मात्र)
7.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक प्रधान कार्यालय,

		मानव संसाधन विभाग कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
--	--	--

### धरोहर राशि (ईएमडी)

- i. सभी प्रत्युत्तर राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में ई भुगतान के माध्यम से 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त जमानत धनराशि से युक्त हों।  
खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र.सं.	प्रकार	ब्यौरा
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर 5 ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र , लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBHY0020511
8	एमआईसीआर सं.	110004005

- ii. भुगतान का प्रमाण संलग्न करें एवं तकनीकी बोली वाले लिफाफे में रखें ऐसे न करने पर बोली के मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को ईसीएस मेनडेट फार्म प्रस्तुत करना भी आवश्यक है यथा अनुलग्नक -I में संलग्न है।
- iii. यथोचित स्वरूप एवं रीति में बिना धरोहर राशि की कोई भी बोली अनुत्तरदायी मानी जाएगी एवं अस्वीकार कर दी जाएगी।
- iv. धरोहर राशि से छूट के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- v. सभी असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि बोली प्रक्रिया पूरी के होने पर वापस कर दी जाएगी।

- vi. सेवा स्तरीय करार (एसएलए)के निष्पादन करने एवं इस आरएफपी की शर्तों के अनुसार कुल संविदा मूल्य की 10 प्रतिशत की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के पश्चात सफल बोलीदाता को धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।
- vii. निम्नलिखित कारणों से धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी:
- यदि बोलीदाता बोली की वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है।
  - यदि बोलीदाता कोई ऐसा कथन करता है अथवा प्रपत्र संलग्न करता है जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व किसी समय पर झूठे/गलत पाये जाते हैं।
  - सफल बोलीदाता के मामले में यदि बोलीदाता संविदा पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है।

## खंड-II

### बोली पूर्व बैठक

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी में स्पष्ट की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में दिनांक 18.अगस्त, 2017 को 3:00 बजे को अथवा उससे पूर्व ईमेल द्वारा अथवा डॉक द्वारा पृष्ठ संख्या 05 बिंदु 07 में उल्लिखित पते पर पहुंच जाने चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं का प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

### **पूर्व – अर्हता मापदंड**

बोली प्रस्तुत करने की अर्हता के लिए प्रत्येक बोलीदाता निम्नलिखित पूर्व अर्हता मापदंड पूरा करता हो:

1. वेंडर सरकारी संगठन/सार्वजनिकक्षेत्र का उपक्रम/सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम/भारतीय कानूनों के अधीन प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड हो।
2. बोलीदाता के पास भारत में बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/वित्तीय संस्थानों के भौतिक अभिलेखों के भंडारण एवं प्रबंधन का कम से कम पांच वर्षों का अनुभव हो। बोलीदाता की भारत में कम से कम 10 वर्षों से मौजूदगी हो। बोलीदाता इस अपेक्षा के संबंध में निगमन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
3. बोलीदाता के पास भारत में बोलीदाता के भंडारण केंद्रों में कम से कम दो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/वित्तीय संस्थानों के भौतिक अभिलेखों के भंडारण एवं प्रबंधन का अनुभव हो।
4. बोलीदाता के पास संचयी तौर पर बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/वित्तीय संस्थानों के कम से कम 2 लाख क्यूबिक फीट भौतिक अभिलेखों के भंडारण एवं प्रबंधन का अनुभव हो।
5. बोलीदाता ने विगत तीन वित्तीय वर्ष यानि 2014-15 से 2016-17 में अपने अभिलेख भंडारण सेवा से कम से कम 10 करोड़ रुपये का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार का लक्ष्य हासिल किया हो। यहचालू लाभप्रद कंपनी/संगठन हो। बोलीदाता इस अपेक्षा के संबंध में सभी तीन वर्षों की लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करेगा।

6. वेंडर निविदाकर्ता प्राधिकरण द्वारा जारी भ्रष्ट और कपटपूर्ण प्रथाओं के लिए अयोग्यता की घोषणा के अंतर्गत न हो। स्व-घोषणा प्रमाणपत्र संलग्न करे। प्रफोर्मा खंड IV के प्रपत्र 4 में प्रदान किया गया है।
7. वेंडर के पास अभिलेखों के भंडारण के लिए समूचे भारत वर्ष में कम से कम 10 स्थानों में कम से कम 1,00,000 वर्गफीट का स्थान हो जिसमें से बैंक के अभिलेखों के अपेक्षित भंडारण स्थल के प्रावधान के साथ, जब भी अपेक्षित हो, पांच मेट्रो स्थानों में विद्यमान हों। उनके पास इस इन स्थानों के भंडारण स्थल में अतिरिक्त अभिलेखों के लिए पर्याप्त क्षमता हो।
8. भंडारण भवन स्थायी निर्माण होना चाहिए जो अधिमानतः आरसीसी/मजबूत एवं जंगप्रतिरोधक आधुनिक धातु से निर्मित छत के साथ कम से कम चार फीट ऊंचा, विशेष तौर पर बैंक के अभिलेखों को आग, चोरी, कीट, धूल बचाने के लिये तैयार किया गया हो एवं यथोचित अनुमोदन के अनुसार समुचित जल निकास के प्रावधान से परिपूर्ण हो।
9. स्थान को ऐसे सुरक्षित क्षेत्र में वरीयता दी जाय जिसका बाढ़, चक्रवात, जलमग्न होना, भूकंप इत्यादि जैसे प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास न हो।
10. भंडारण स्थल 24 x 7 मानव सुरक्षा के अतिरिक्त नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा से लैस हो जिसमें रिकार्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे शामिल हों। वेंडर यह रिकार्डिंग कम से कम 30 दिनों के लिए रखेगा। भंडारण क्षेत्र उन्नत कंप्यूटर नियंत्रित पहुंच नियंत्रण प्रणाली के साथ लैस प्रतिबंधित क्षेत्र होना चाहिए जिसमें केवल प्राधिकृत अधिकारियों के प्रवेश की अनुमति हो।
11. भंडारण स्थल अत्याधुनिक धुम्रपान एवं आग की पहचान प्रणाली से लैस हो।

12. भंडारण स्थल में पर्याप्त अग्निशमन उपकरण हो एवं कर्मचारी उक्त का संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हों।
13. सेवा प्रदाता यह संपुष्टि करेगा कि भंडारण स्थल में कीट मुक्त वातावरण के लिए कीट नियंत्रण और दीमक उपचार नियमित रूप से किया जाएगा।
14. सेवा प्रदाता अभिलेखों के भंडारण एवं सेवाओं के लिए अपनी व्यापार निरंतरता योजना, आपदा बहाली योजना, आपात अनुक्रिया योजना, कचरा प्रबंधन नीति, सुरक्षा नियमावली एवं मानक परिचालन प्रक्रिया की संपुष्टि करेगा व प्रस्तुत करेगा।
15. वेंडर के पास अभिलेखों के रख-रखाव के क्रियाकलाप के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मी व श्रम शक्ति हो।
16. वेंडर के पास ईएसआईसी, एवं पीएफ पंजीकरण व श्रम लाइसेंस होना चाहिए। वैध पंजीकरण एवं लाइसेंस की प्रतिलिपियां निविदा के साथ प्रस्तुत की जाय।
17. निविदा उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय द्वारा जारी अथवा बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जा सकती है। किसी अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी एवं अवैध घोषित कर दी जाएगी।
18. वेंडर द्वारा अर्जित स्थल का स्वत्वाधिकार का प्रबंध कानूनी तौर पर केवल वेंडर द्वारा ही किया जाय। इस कार्य को उप निविदा पर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थल का स्वत्वाधिकार स्पष्ट हो एवं किसी ऋणभार से ग्रस्त न हो। वेंडर ये प्रमाणित करेगा कि इस भंडारण स्थल के लिए सभी कानूनी एवं तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की गयी हैं।

19. वेंडर यह प्रमाणित करेगा कि उसने समुचित दुकान व प्रतिष्ठान लाइसेंस प्राप्त किया है एवं बैंक को जब भी अपेक्षित हो वह प्रस्तुत करने में समर्थ है।
20. भंडारण स्थल चोरी, संधमारी इत्यादि के अलावा आग, बाढ़, चक्रवात एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बीमाकृत हो एवं वेंडर ऐसी बीमा की लागत वहन करेगा।
21. भंडारण स्थल जहां इस जगह में बैंक के अभिलेख/फाइलें रखी जानी हैं, स्केच मैप बैंक को प्रस्तुत करना होगा।
22. भंडारण/पुनःप्राप्ति सेवा बैंक की अपेक्षानुसार सभी दिवसों पर उपलब्ध हों।
23. वेंडर भंडारण व्यवस्था का दौरा/निरीक्षण करने के लिए बैंक द्वारा जारी/दी गई पूर्व लिखित सूचना की प्राप्ति के पश्चात ही प्राधिकृत व्यक्ति(यों), अधिकारी(यों), लेखा परीक्षक (कों) अथवा बैंक के किसी अन्य प्रतिनिधि को अनुमति देगा।
24. ऐसे वेंडरों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास बैंक से वेंडर के स्थल एवं इसके विपरीत बॉक्सों/दस्तावेजों को ले जाने वाले वाहन की अपनी स्वयं की व्यवस्था हो।
25. वेंडर को वेंडर के पास संग्रहीत फाइलों की पहुंच के अनुरोध एवं अनुरोध के समान की अंतिम तिथि एवं जमा जानकारी के साथ अनुरोध की स्थिति का पता लगाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली/सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना है।

बोलीदाता अपनी तकनीकी बोली में सभी उपरोक्त सूचना प्रस्तुत करेगा ताकि तकनीकी मूल्यांकन का पात्र बन सके।

**प्रतिवर्तन काल (टीएटी) एवं दंड**

पुनःप्राप्ति की प्रकृति	सहमत टीएटी
सामान्य पुनःप्राप्ति	फैक्स/ईमेल द्वारा 5 बजे सांय तक प्राप्त सभी अनुरोध आगामी कार्य दिवस (48 घंटे टीएटी) तक सौंपे जाएंगे।
तत्काल पुनः प्राप्ति	फैक्स/ईमेल द्वारा 12 बजे मध्यान तक प्राप्त सभी अनुरोध उसी दिन को सौंपे जाएंगे। एक बार में कम से कम 25 फाइलों के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। इस से अधिक अनुरोधों के लिए बेहतर प्रयास के आधार पर वितरण किया जाएगा।
थोक/परियोजना पुनःप्राप्ति	कार्य सौंपते समय बैंक द्वारा यथा संसूचित (आपसी सहमति के साथ)

उपरोक्त प्रतिवर्तन काल (टीएटी) हर समय रखा जाय अन्यथा निम्नलिखित दंड खंड लागू होंगे:

#### सामान्य पुनःप्राप्ति:

लागू स्थिति	लागू दंड
टीएटी के अनुसार माह में कुल पुनःप्राप्तियों का 95 प्रतिशत एवं शेष तीन दिनों के भीतर	शून्य
टीएटी के अनुसार माह में कुल पुनःप्राप्तियों का 95 प्रतिशत एवं शेष पांच दिनों के भीतर	माह के पुनःप्राप्ति के बिल का 5 प्रतिशत

टीएटी के अनुसार माह में कुल पुनःप्राप्तियों का 95 प्रतिशत एवं शेष पांच दिनों से अधिक	माह के पुनःप्राप्ति के बिल का 10 प्रतिशत
95 प्रतिशत टीएटी से कम	माह के पुनःप्राप्ति के बिल का 15 प्रतिशत

### तत्काल पुनःप्राप्ति:

लागू स्थिति	लागू दंड
वे पुनःप्राप्तियां जिसमें 1 दिन के टीएटी का पालन नहीं किया गया हो	माह के पुनःप्राप्ति के बिल का 25 प्रतिशत

### निविदा अस्वीकार करने के मापदंड

यद्यपि बोलीदाता उपरोक्त अहर्ताकारी मापदंड पूरा कर रह हो तथापि वे अयोग्य ठहराये जा सकते हैं यदि उन्होंने:

- क) अहर्ता की अपेक्षाओं के साक्ष्य में प्रस्तुत प्रपत्रों, विवरणों एवं अनुलग्नकों में भ्रामक अथवा मिथ्या अभ्यावेदन किया हो, एवं/अथवा
- ख) कार्य निष्पादन का खराब रिकार्ड जैसे काम छोड़ देना, संविदा समुचित ढंग से पूरा न करना, काम पूरा करने में अत्यधिक देरी, मुकदमेबाजी का इतिहास अथवा वित्तीय विफलता इत्यादि

तकनीकी रूप से अहर्ताप्राप्त करने के पश्चात बोलीदाता की संरचना या गठन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। उक्त को उल्लंघन माना जाएगा एवं बैंक द्वारा बोलीदाता को अयोग्य ठहराया जाएगा व बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा।

## संविदा का निरस्तीकरण

यदि वेंडर संतोषजनक सेवा उपलब्ध कराने एवं बैंक को स्वीकार्य से अधिक अवसरों पर उपरोक्त उल्लिखित प्रतिवर्तन काल बनाये रखने में असफल रहता है तो वेंडर के साथ संविदा निरस्त की जा सकती है। यदि बैंक चाहे तो इस मामले में बोलीदाता द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।

## अन्य शर्तें

### बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

### प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता तकनीकी बोली के साथ वास्तविक कीमतों को प्रच्छादित करते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली वास्तविक कीमत की बोली (राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) की प्रति प्रस्तुत करेगा। यह अनिवार्य है। वह बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है यदि इसे यथोचित ढंग से प्रच्छादन करते हुए प्रस्तुत न किया गया हो। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय पर बोली अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि 'प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली'का प्रारूप/विवरण (मूल्य के सिवा) प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से न मिलता हो।

### बोली की कीमत

बोलीदाता बोली की तैयारी व प्रस्तुतिकरण से जुड़े सभी लागतों का वहन करेगा एवं बैंक बोली लगाने की प्रक्रिया के संचालन एवं परिणाम की परवाह किए बिना इन लागतों के किसी मामले में जिम्मेदार अथवा भागी नहीं होगा।

### **बोली दस्तावेज**

बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह बोली दस्तावेजों में सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, निबंधन व शर्तों एवं तकनीकी विनिर्देशों का जांच करे। प्रत्येक संबंध में बोली दस्तावेज के प्रति प्रतिक्रियाशील न होने वाली बोली की प्रस्तुति बोलीदाता के जोखिम पर होगी एवं इसके परिणामस्वरूप बोलीदाता को बिना किसी संदर्भ के उसकी बोली अस्वीकार की जा सकती है।

### **बोली वाले दस्तावेजों में संशोधन**

बोलियों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय से पूर्व राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी समय पर बैंक के पूर्ण विवेक पर किसी कारण के लिए बोली दस्तावेजों में संशोधन करते हुए संशोधन कर सकता है। सभी संशोधन बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

संभावित बोलीदाता को अपनी बोली तैयार करने में संशोधन यदि कोई हो, करने के लिए युक्तियुक्त समय प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक अपने विवेक पर बोली की प्रस्तुति की समय-सीमा बढ़ा सकता है।

### **वैधता की अवधि**

बोलियां इसकी खोलने की तिथि जो बैंक द्वारा निर्धारित है, से छः माह के लिए वैध रहेगी। कम अवधि की वैधता वाली बोली बैंक द्वारा गैर उत्तरदायी के तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

### **बोली की मुद्रा**

बोलियां केवल रूपये में ही उद्धृत की जाय।

## बोलियों की प्रस्तुति

निविदा बोली (तकनीकी एवं वित्तीय बोली) अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में भेजी जाय ऐसा न करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। ये दोनो मुहरबंद लिफाफे तीसरे लिफाफे में रखे जाय जिसमें 'भंडारण एवं फाइल प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए फर्म की नियुक्ति हेतु कोटेशन' लिखा हो एवं 04/08/2017 तक 05.00 बजे सांय अथवा उससे पूर्व निम्नलिखित पते पर भेजें।

### उप महाप्रबंधक

मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग

राष्ट्रीय आवास बैंक

तृतीय-पांचवा तल, कोर 5ए,

भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

तकनीकी बोलियां 05/09/2017 को 12.00 बजे मध्यान् को खोली जाएगी। हालांकि तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोलने की तिथि व समय के बारे में संबंधित बोलीदाताओं को ईमेल एवं/अथवा फोन द्वारा सूचित किया जाएगा। बोलीदाताओं के प्रतिनिधि समुचि प्राधिकार पत्र के साथ निविदा खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

### देरी से प्राप्त होने वाली बोलियां

बोलियों की प्रस्तुति की नियत तिथि के पश्चात बैंक को प्राप्त होने वाली कोई बोली अस्वीकार कर दी जाएगी एवं/अथवा बोलीदाता को बिना खोले ही वापस कर दी जाएगी यदि वह ऐसा चाहता हो।

## बोलियों का संशोधन एवं/अथवा वापस लेना

- एक बार जब बोलियां प्रस्तुत कर दी गयी हों तो उसे अंतिम माना जाएगा एवं इस संबंध में बैंक आगे के पत्र व्यवहार पर कोई विचार नहीं करेगा।
- बोलियों की प्रस्तुति की नियत तिथि के पश्चात बोली में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- किसी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं होगी यदि वह बोलीदाता सफल बोलीदाता है।

## विवाद का निवारण

क. यदि इस अनुबंध के निर्वहन के दौरान या उसके बाद, पक्षों के बीच वैधता, व्याख्या, कार्यान्वयन, इस संविदा के किसी प्रावधान के विषय के उल्लंघन अथवा किसी कथित विषय के उल्लंघन के संबंध में अथवा क्या एक पक्ष द्वारा इस संविदा का समापन न्यायसंगत है सहित किसी प्रश्न के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्ष ऐसे विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने एवं/अथवा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 शासित होने वाले अथवा जैसा दोनों पक्षों के बीच सहमति हो, समझौता करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारे का प्रयास असफल रहता है तो युक्तियुक्त प्रयास; जो प्रयास तीस (30) दिनों से कम न हो तक जारी रहेगा, के पश्चात पक्षों में से कोई एक पक्ष यथाशीघ्र दूसरे पक्ष को लिखित में तीस (30) दिनों का नोटिस देते हुए विवाद मध्यस्थको भेजेगा।

ख. यदि ऐसी असफलता जैसा उपरोक्त संदर्भित है तो विवाद (उपरोक्त खंड के प्रयोजनार्थ आपसी सहमति से दोनों पक्षों द्वारा चुने गये

प्राधिकरण) को भेजा जाएगा जो ऐसे विवाद के निपटारे के लिए एकमात्र मध्यस्थ के तौर पर कार्य करेगा।

ग. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 मध्यस्था कार्यवाही को नियंत्रित करेगा।

घ. मध्यस्था कार्यवाही दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी।

ङ. भारत के मूल कानून मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करेंगे।

च. मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी।

छ. संविदा की निरंतरता: इस तथ्य में कुछ भी न होते हुए भी कि मध्यस्थ के तहत विवाद(दों) (यदि कोई हो) का निपटारा अनिर्णीत हो तो दोनों पक्ष साथ-साथ इस संविदा के तहत प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित होंगे एवं इस कार्य का निष्पादन करेंगे।

### तकनीकी बोली के मूल्यांकन का मापदंड

बैंक एक मूल्यांकन समिति (ईसी) का गठन करेगी जो पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया का निष्पादन करेगी।

तकनीकी प्रस्ताव मूल्यांकन प्रक्रिया बोलीदाता की योग्यता पर केंद्रित होगी ताकि नियत कार्य की तकनीकी अपेक्षाओं, गुणवत्ता की प्रक्रिया एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखने का अनुभव से संतुष्ट हो सकें।

क्र.सं.	मूल्यांकन मापदंड	अंक	अंक देने की प्रणाली
1	अनुभव	30	भारत में बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थानों के भौतिक अभिलेखों के भंडारण व प्रबंधन में अनुभव (अधिकतम अंक - 10)

			<p>&lt; 10 वर्ष – 10 अंक</p> <p>6 से 10 वर्ष – हर पूरे वर्ष के लिए 1 अंक</p> <p>5 वर्ष – शून्य</p>
			<p>भारत में बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थानों के भौतिक अभिलेखों के भंडारण व प्रबंधन में अनुभव (अधिकतम अंक – 10)</p> <p>&gt; 10 बैंक – 10 अंक</p> <p>3 से 10 वर्ष – हर बैंक के लिए 1 अंक</p> <p>&gt; 2 बैंक – शून्य</p>
			<p>अभिलेख भंडारण में प्रदान की गयी सेवाओं से विगत तीन वित्तीय वर्ष यानि 2014-15 से 2016-17 में औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार (अधिकतम अंक 10)</p> <p>20 करोड़ रुपये से अधिक – 10 अंक</p> <p>11 से 20 करोड़ – प्रत्येक करोड़ के लिए 0.3 अंक</p> <p>10 करोड़ – शून्य</p>

2	भंडारण सुविधाएं	35	<p>(अधिकतम 10 अंक)</p> <p>सुरक्षा, अभिगम नियंत्रण प्रणाली, अग्नि शमन, धूम्रपान संसूचक, रिकॉर्डिंग की सुविधा के साथ सीसीटीवी, कीट नियंत्रण (पेस्ट कंट्रोल)</p> <p>हां – 10 अंक</p> <p>नहीं-शून्य</p> <p>भारत में भंडारण भवन के साथ अभिलेख भंडारण केंद्र जिसमें से दिल्ली सहित 5 मेट्रो शहरों में होएवं जो विशेष तौर पर 24 x 7 मानव सुरक्षा एवं नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ आग, चोरी, कीट, धूल इत्यादि से बैंक के अभिलेखों की सुरक्षा के लिए तैयार किये गये हों(अधिकतम 10अंक)</p> <p>10 एवं इससे अधिक अभिलेख भंडारण केंद्र जिसमें से पांच दिल्ली/एनसीआर सहित मेट्रो शहरो में हो – 10 अंक</p> <p>5-9 केंद्र जिसमें से पांच दिल्ली/एनसीआर सहित मेट्रो शहरो में हो – 6 अंक</p>
---	-----------------	----	---

			<p>2-5 केंद्र जिसमें से तीन दिल्ली/एनसीआर सहित मेट्रो शहरों में हो – 5 अंक</p> <p>दिल्ली/एनसीआर सहित 2 से कम केंद्र – शून्य</p>
			<p>बैंक के भौतिक अभिलेखों के लिए अपेक्षित भंडारण स्थल आबंटित करने के प्रावधान के साथ समूचे भारत में अभिलेखों के भंडारण के लिए सकल स्थल(अधिकतम 10 अंक)</p> <p>2 लाख एवं उससे अधिक वर्ग फीट – 10 अंक</p> <p>1 लाख वर्ग फीट से अधिक लेकिन 2 लाख वर्ग फीट से कम – 7 अंक</p> <p>1 लाख वर्ग फीट – शून्य</p>
3	अभिलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर एवं प्रक्रियाएं	15	बोलीदाता ने व्यापक अभिलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यान्वित किया हो जो प्राधिकृत उपयोगकर्ता(ओं) तक पहुंच प्रदान कर सके। बोलीदाता के पास किसी भी समय पर उसके द्वारा

			इस्तेमाल किये जा रहे सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड तक पहुंच के साथ प्रक्रिया को अनुकूल बनाने की योग्यता हो। (अधिकतम 10 अंक) <b>हां - 10 अंक; नहीं - शून्य</b>
			सभी मानक परिचालन प्रक्रिया, बीसीपी, डीआरपी, इत्यादि का दस्तावेजीकरण उपलब्ध होना चाहिए (अधिकतम 5 अंक) <b>हां - 5 अंक; नहीं - शून्य</b>
4	प्रस्तुतिकरण	20	
	कुल	100	

### मूल्यांकन मापदंड

केवल वही बोलीदाता जिसने तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया में 80 (अस्सी) अंक प्राप्त किये हो, वाणिज्यिक मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए अर्हता होगा। एक बार जब तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो जाय तो वह बोलीदाता जिसने निर्धारित कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त किया है, को ही छांटा जायेगा।

तकनीकी रूप से छांटे गये बोलीदाताओं के ही वाणिज्यिक प्रस्ताव खोले जाएंगे। वह बोलीदाता जिसकी बोली सबसे कम अंतिम वाणिज्यिक उद्धरण (यानि एल1) निर्धारित की गयी है उसे परियोजना प्रदान की जाएगी।

बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार एवं अवधारण पर बैंक इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई अन्य प्रासंगिक मापदंड जोड़ सकता है।

बैंक बोलियों को मानक के अनुसार बनाने के उद्देश्य से अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर प्रत्युत्तरदाताओं से अधिक जानकारी मांग सकता है। हालांकि प्रत्युत्तरदाताओं को अलग से सूचित किया जाएगा यदि तकनीकी मूल्यांकन के लिए ऐसी मानकीकरण प्रयोग का सहारा लिया जाता है।

### **भुगतान की शर्तें**

क) संबंधित कार्यालय द्वारा प्रमाणीकरण के अनुसार भौतिक अभिलेखों के साथ-साथ दस्तावेजों के सफल एकत्रण एवं ढुलाई के पश्चात बिल प्राप्त होने पर बैंक द्वारा मासिक आधार पर आधार पर भुगतान किया जाएगा।

ख) बोलीदाता को भौतिक अभिलेख पांच वर्ष के लिए सुरक्षित रखने होंगे। दस्तावेजों के भौतिक भंडारण का भुगतान बैंक को बिल प्राप्त होने के पश्चात अभिलेखों की वास्तविक संख्या के आधार पर प्रत्येक तिमाही के पश्चात किया जाएगा।

### **प्रारंभिक सुरक्षा जमाराशि**

सफल बोलीदाता कुल निर्धारित लागत जमा (+) वार्षिक आवर्ती लागत के 10 प्रतिशत के समतुल्य बैंक गारंटी जमा करेगा।

### **बोली की कीमत**

बोलीदाता बोली की तैयारी व प्रस्तुतिकरण से जुड़े सभी लागतों का वहन करेगा एवं बैंक बोली लगाने की प्रक्रिया के संचालन एवं परिणाम की परवाह किए बिना इन लागतों के किसी मामले में जिम्मेदार अथवा भागी नहीं होगा।

### बोली दस्तावेज

बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह बोली दस्तावेजों में सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, निबंधन व शर्तों एवं तकनीकी विनिर्देशों का जांच करे। प्रत्येक संबंध में बोली दस्तावेज के प्रति प्रतिक्रियाशील न होने वाली बोली की प्रस्तुति बोलीदाता के जोखिम पर होगी एवं इसके परिणामस्वरूप बोलीदाता को बिना किसी संदर्भ के उसकी बोली अस्वीकार की जा सकती है।

### प्रस्ताव का प्रारूप एवं प्रस्तुति की प्रक्रिया

ये प्रस्ताव निम्नलिखित दो लिफाफों में तैयार किये जाएं:

क्र.सं	मद	संदर्भ प्रपत्र
क.	लिफाफा - क तकनीकी बोली के दस्तावेज	
1	निविदा की लागत	
2	धरोहर राशि	
3	कंपनी का निगमन प्रमाणपत्र	
4	बोली प्रस्ताव	प्रपत्र 1
5	बोलीदाता प्राधिकार प्रमाणपत्र	प्रपत्र 2
6	वे दस्तावेज जो बोलीदाता की पात्रता	प्रपत्र 3

	एवं अर्हता की अपेक्षाएं दर्शाते हों	
7	स्व घोषण प्रमाणपत्र यथा अपेक्षित	प्रपत्र 4
8	अनुरूपता प्रमाणपत्र यथा अपेक्षित	प्रपत्र 5
9	बोलीदाता के बारे में वित्तीय सूचना	प्रपत्र 6
10	अभिलेख भंडारण केंद्रों की सूची	प्रपत्र 7
11	प्रस्तावति समाधान एवं कार्यान्वयन का दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली पर दस्तावेज	15 से अधिक नहीं
ख	लिफाफा - ख वाणिज्यिक प्रस्ताव	प्रपत्र 8
	ईसीएस प्रारूप	प्रपत्र 9

तकनीकी बोली से युक्त मुहरबंद लिफाफे पर “अभिलेख भंडारण एवं प्रबंधन के लिए तकनीकी बोली” लिखा होएवं वाणिज्यिक बोली से युक्त मुहरबंद लिफाफे पर “अभिलेख भंडारण एवं प्रबंधन के लिए वाणिज्यिक बोली” लिखा हो। दोनो लिफाफे एक लिफाफे में रखे गये हों जिसके उपरी छोर पर ‘अभिलेख भंडारण एवं प्रबंधन के लिए निविदा’ लिखा हो।

## खंड - III

### पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय आवास बैंक का नई दिल्ली में प्रधान कार्यालय है एवं पूरे भारत वर्ष में 7 क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय हैं। बैंक प्रधान कार्यालय में रखे अप्रचलित भौतिक अभिलेखों के भंडारण की सेवाएं आउटसोर्स करने की योजना बना रहा है।

### लेखा परीक्षा

1. अभिलेखों का पता लगाने के लिए कंप्यूटरीकृत सुविधा होनी चाहिए जब अभिलेख सामान्य भंडारण क्षेत्र से दूर हों। अभिलेखों को लाने-ले जाने में बैंक द्वारा परिभाषित नीति का पालन किया जाय।
2. समय-समय पर आंतरिक/बाहरी लेखा परीक्षा किया जाय ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रक्रियाएं बैंक द्वारा परिभाषित नीति के अनुसार निष्पादित की जा रही हैं।
3. तीसरे पक्ष की लेखा परीक्षा की सुविधा भी विद्यमान होनी चाहिए।
4. अभिलेखों की अनाधिकृत आवाजाही से बचाने के लिए समय-समय पर लेखा परीक्षा की जानी चाहिए। सफल बोलीदाता द्वारा प्रणाली में निष्पादित की गयी सभी प्रासंगिक घटनाओं एवं कार्रवाइयों की निम्नलिखित सहित एक लेखा परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
  - क) प्रति दिन/सप्ताह/पाक्षिक/माह में जुड़े अभिलेख
  - ख) प्रति दिन/सप्ताह/पाक्षिक/माह में लेखा परीक्षित/अद्यनीकृत/हटाये गये अभिलेख
  - ग) गुणवत्ता के आधार पर असफल लेन-देन अथवा अनाधिकृत पहुंच अथवा अननुमोदित अभिलेख इत्यादि
  - घ) स्रोत से अंतिम स्थल तक एकत्रित दस्तावेजों के भौतिक आवाजाही पर नजर रखना

इन लेखा परीक्षा सत्यापन के आधार पर इस प्रणाली से सांखिकी की पुनः प्राप्ति का व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने एवं चार्ट व रिपोर्ट तैयार करने की अपेक्षाकी जाती है।

यह प्रणाली लेखा परीक्षा सत्यापन के अभिलेखों को किसी व्यक्ति द्वारा संशोधित अथवा हटाये जाने से बचाएगी एवं उपयोगकर्ता के पास अपने स्वयं के लेख परीक्षा सत्यापन तक पूरी पहुंच होगी। सभी प्रशासनिक उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट तौर पर इसकी सूचना दी जाएगी जिनके पास लेखा परीक्षा सत्यापन तक पहुंच है कि किन परिस्थितियों में इन सत्यापनों की समीक्षा की जाय अथवा इस्तेमाल किया जाय। लेखा परीक्षा सत्यापन तक पहुंच के लिए बैंक के अनुमोदन एवं पासवर्ड प्राधिकार की आवश्यकता होगी। डाटाबेस टेबल जिसमें लेखा परीक्षा सत्यापन शामिल हैं, कूट रूप देने की आवश्यकता है ताकि सोल्यूशन प्रणाली के बाहर डाटाबेस से लेखा परीक्षा का सत्यापन डाटा के सीधी पुनः प्राप्ति संभव न हो।

### प्रपत्र-1

बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला पत्र

सेवा में

उप महाप्रबंधक

मानव संसाधन विभाग

राष्ट्रीय आवास बैंक

प्रधान कार्यालय

कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड

नई दिल्ली-110003

महोदय,

**संदर्भ : मानव संसाधन परामर्श देने के लिए फर्म की नियुक्ति हेतु हमारी बोली**

हम इस प्रपत्र के साथ अपनी बोली दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं।

यदि हमारी बोली उपरोक्त कार्य के लिए स्वीकार की ली जाती है तो हम वचन देते हैं कि हम निर्धारित प्रपत्र में संविदा अपनी लागत पर संपन्न करेंगे एवं निष्पादित करेंगे जब भी हमें बैंक ऐसा करने के लिए कहे। आपकी लिखित अनुमति के साथ यदि एवं जब तक औपचारिक संविदा तैयार व निष्पादित न हो यह बोली हमारे बीच बाध्यताकारी संविदा होगी।

हम भली भांति समझते हैं कि यदि हमारी बोली स्वीकार की जाती है तो हम इस संविदा के सम्यक कार्य निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

हम भली भांति जानते हैं कि आप आपके द्वारा प्राप्त सबसे कम अथवा कोई बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं एवं आप सभी अथवा कोई बोली अस्वीकार कर सकते हैं; आप बिना कोई कारण बताये अथवा कोई स्पष्टीकरण के जो भी हो, पूरे कार्य के लिए एक वेंडर को स्वीकार कर सकते हो अथवा पूरे कार्य को एक वेंडर को सौंप सकते हो अथवा इस कार्य को एक से अधिक वेंडरों में बांट सकते हो।

हम भली भांति समझते हैं कि पहला चरण (तकनीकी बोली) पूर्ण होने के पश्चात छांटे गये बोलीदाता का नाम एवं सफल बोलीदाता का नाम जिसे

द्वितीय चरण (वाणिज्यिक बोली) पूर्ण होने के पश्चात अंतिम रूप से संविदा प्रदान की जानी है, की सूचना बोलीदाता को फोन/ईमेल/पत्र द्वारा दी जाएगी।

.....वार दिनांक.....2017

भवदीय,

कृते.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

.....  
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

### प्रपत्र-2 बोलीदाता का प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र

सेवा में

उप महाप्रबंधक (प्रशासन)

राष्ट्रीय आवास बैंक

प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली

(बोलीदाता का नाम).....(पदनाम) एतद् द्वारा संदर्भ (निविदा सं. एवं तिथि) की निविदा के साथ संव्यवहार करने में कंपनी की ओर से प्रासंगिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है। वह उपरोक्त निविदा की प्रक्रिया के विषय में आपके द्वारा यथा अपेक्षित बैठक में भाग लेने एवं तकनीकी एवं वाणिज्यिक सूचना प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत है।

धन्यवाद,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

.....  
(कंपनी का नाम)

मुहर

### प्रपत्र-3 कार्य अनुभव प्रमाणपत्र

फर्म का नाम.....

क्र.सं .	राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/वाणि ज्यिक बैंकों का नाम जिसके लिए बोलीदाता अभिलेख भंडारण सेवा प्रदान कर रहा है	आरं भ की ति थि	वैध ता की ति थि	सेवि त वर्षों की सं ख्या	भंडारित अभिले खों की वर्तमान संख्या (क्यूबि
-------------	---	----------------------------	-----------------------------	---	--

					क फीट में)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
	कुल				

\*बोलीदाता उपरोक्त उल्लिखित सूचना के दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर वैध करार की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करे।

दिनांक.....

स्थान.....

बोलीदाता के हस्ताक्षर.....

**प्रपत्र-4 स्व घोषणा**

संदर्भ.....

दिनांक.....

सेवा में

उप महाप्रबंधक (प्रशासन)

राष्ट्रीय आवास बैंक

प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली

..... के मालिक/साझीदार/निदेशक के तौर पर निविदा सं.....दिनांक के प्रत्युत्तर में मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी एजेंसी का अतीत में उत्तम रिकार्ड है एवं किसी संस्थान/संगठन, सरकारी क्षेत्र के संस्थान इत्यादि में या तो अनिश्चित काल अथवा किसी विशेष समयावधि के लिए भ्रष्ट एवं कपटपूर्ण आचरण के लिए अयोग्य घोषित नहीं की गई अथवा काली सूची में नहीं डाली गयी।

बोलीदाता का नाम: .....

हस्ताक्षर: .....

कंपनी की मुहर: .....

## प्रपत्र-5 अनुरूपता प्रमाणपत्र

दिनांक.....

सेवा में  
उप महाप्रबंधक (प्रशासन)  
राष्ट्रीय आवास बैंक  
प्रधान कार्यालय  
नई दिल्ली

### प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि अभिलेख भंडारण एवं प्रबंधन प्रणाली के लिए सेवा जो मैं उपलब्ध कराऊंगा यदि मुझे यह कार्य प्रदान किया गया, निविदा दस्तावेज में कार्यक्षेत्र के अनुरूप हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने जो प्रति इकाई लागत आधार पर कीमत उद्धृत की है, मैं इस परियोजना के निष्पादन में जुड़े सभी लागत कारक शामिल है ताकि इस संविदा की शर्तों में निर्धारित वांछित मानकों की पूर्ति की जा सके।

हस्ताक्षर: .....

नाम: .....

पदनाम: .....

मुहर: .....

**प्रपत्र-6 लेखा परीक्षित लेखाओं के अनुसार वित्तीय विवरण**

वर्ष	वित्तीय वर्ष 2014-15		वित्तीय वर्ष 2015-16		वित्तीय वर्ष 2016-17		औसत कारोबार	
	कु ल	अभिले ख भंडारण सेवाओं से	कु ल	अभिले ख भंडारण सेवाओं से	कु ल	अभिले ख भंडारण सेवाओं से	कु ल	अभिले ख भंडारण सेवाओं से
कारोबा र (‘000 रूपये)								

लाभ ("000 रूपये)								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

\* बोलीदाता लेखा परीक्षित लेखाओं के विवरण की प्रतियां प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर: .....

नाम: .....

पदनाम: .....

मुहर: .....

**प्रपत्र-7 अभिलेख भंडारण केंद्रों की सूची**

क्र.सं.	अभिलेख भंडारण केंद्र का पता	स्वाधिकृत अथवा पट्टे पर	अभिलेख भंडारण का क्षेत्रफल वर्गफीट में		अभिलेख भंडारण की क्षमता क्यूबिक फीट में	
			भरा हुआ	खाली	भरा हुआ	खाली
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
कुल						

\*बोलीदाता पट्टे/मालिकाना हक के दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर: .....

नाम: .....

पदनाम: .....

मुहर: .....

## प्रपत्र-8 वाणिज्यिक बोली का प्रारूप

प्रस्तावित अभिलेख भंडारण एवं प्रबंधन प्रणालियों के लिए कीमत की अनुसूची:

बोलीदाता निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार कीमतें उद्धृत करें।

(राशि रूपये में)

	मद का नाम	अनुमानित कॉर्टन (प्रारंभ में)	दर	निविदा अवधि यानि पांच वर्ष के लिए कुल लागत
1	प्रारंभिक नियत परिचालन लागत (प्रति कॉर्टन) प्रधान कार्यालय से अप्रचलित अभिलेखों का संग्रहण, व्यवस्थित करना, अलग-अलग करना, बारकोडिंग करना, सिस्टम में डेटा की प्रविष्टि करना, भंडारण की जगह तक ढुलाई, मजदूरी सहित श्रम शक्ति की लागत, पैकिंग शुल्क एवं विनिर्दिष्ट आकार एवं गुणवत्ता के अनुसार कॉर्टन की एकबारगी लागत			

2	<p><b>आवर्ती लागत (प्रति कॉर्टन प्रति माह)</b></p> <p>आवर्ती लागत में सभी रखरखाव प्रभार यानि बिजली, सुरक्षा, टेलीफोन, स्टेशनरी, श्रमशक्ति, कीट नियंत्रण इत्यादि यथा आरएफपी में उल्लिखित है, सहित भंडारण शुल्क शामिल है।</p>			
3	<p><b>पुनः प्राप्ति की लागत (प्रति कॉर्टन)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सामान्य पुनःप्राप्ति 24 घंटों के भीतर शाखाओं/कार्यालय जैसा आरएफपी में उल्लिखित है, को वितरित एवं पुनः एकत्रित की जानी है।</li> <li>• आपातकालीनपुनःप्राप्ति 4 घंटों के भीतर शाखाओं/कार्यालय जैसा आरएफपी में उल्लिखित है, को वितरित एवं पुनः एकत्रित की जानी है।</li> </ul>	प्रति माह		

4	<p><b>पुनःप्राप्ति की लागत (प्रति फाइल/रजिस्टर/वाउचर)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सामान्य पुनःप्राप्ति 24 घंटों के भीतर शाखाओं/कार्यालय जैसा आरएफपी में उल्लिखित है, को वितरित एवं पुनः एकत्रित की जानी है।</li> <li>• आपातकालीनपुनःप्राप्ति 4 घंटों के भीतर शाखाओं/कार्यालय जैसा आरएफपी में उल्लिखित है, को वितरित एवं पुनः एकत्रित की जानी है।</li> </ul>	प्रति माह		
5	<p><b>अप्रचलित अभिलेखों का नष्टीकरण (प्रति फाइल/रजिस्टर/वाउचर)</b></p> <p>अप्रचलित रिकॉर्ड को जलाने अथवा लुगदी में परिवर्तित करने के लिए रासायनिक भट्ठी अथवा पेपर मिल भेजने में ढुलाई, मजदूरी एवं सभी सहायक व्यय की पूरी लागत।</p>	प्रति वर्ष		

कुल			
-----	--	--	--

उद्धृत कीमतों में सभी कर शामिल हों।

एल1 मापदंड:

एल1 बोलीदाता निम्नलिखित सूत्र से चिन्हित किया जाएगा।

$$\text{क्र.सं. 01} \times .70 + \text{क्र.सं. 02} \times .10 + \text{क्र.सं. 03} \times .10 + \text{क्र.सं. 04} \times .05 + \text{क्र.सं. 05} \times .05$$

हस्ताक्षर: .....

नाम: .....

पदनाम: .....

मुहर: .....

### प्रपत्र-9

(तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करें)

### ईसीएस मेनडेट

राष्ट्रीय आवास बैंक से भुगतान जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण प्रदान करने वाला प्रपत्र

(कृपया जानकारी स्पष्ट अक्षरों में भरें)

1. बोलीदाता का नाम.....

2. बोलीदाता का पता .....

शहर.....पिन.....

ईमेल आईडी .....

फोन/मोबाइल .....

स्थायी खाता संख्या (पेन)

.....  
सेवा कर पंजीकरण संख्या

.....  
टिन सं.

### 3. बैंक खाते का विवरण

क) खाते का नाम जैसा बैंक में है

.....  
ख) बैंक का नाम .....

ग) शाखा का नाम .....

घ) दूरभाष के साथ शाखा का पता.....

ङ) खाता संख्या (जो चैक बुक में है)

.....  
च) खाता का प्रकार (बचत/चालू इत्यादि)

.....  
छ) एमआईसीआर सं. ....

ज) बैंक शाखा का आईएफएससी कोड.....

मैं/हम राष्ट्रीय आवास बैंक कोएतद् द्वारा मेरे/हमारे उपरोक्त बैंक खाते में ईसीएस # द्वारा भुगतान जमा करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। (# ईसीएस उन केंद्रों में स्वीकार की जाएगी जहां यह सुविधा उपलब्ध है)।

मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण सही एवं पूर्ण है। यदि अपूर्ण अथवा गलत जानकारी के कारण ईसीएस द्वारा लेन-देन में किसी तरह की देरी होती है अथवा संपन्न नहीं होती है तो मैं/हम राष्ट्रीय आवास बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे। मैं यह भी वचन देता हूं कि मेरे खाते के विवरण में किसी प्रकार के बदलाव होने पर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से राशि जमा करने के प्रयोजनार्थ अभिलेखों का अद्यतन को सुविधापरक बनाते हुए सूचित करूंगा।

मैं इस बात पर भी सहमत हूं कि राष्ट्रीय आवास बैंक के मेरे द्वारा दिये गये

ईसीएस अनुदेशों का निष्पादन करने में समर्थ न होने के दशा में पूर्वगामी सर्व-साधारण नियम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय आवास बैंक लेन-देन संपन्न कराने के लिए भुगतान की ऐसी व्यवस्था कर सकता है जो वह उचित समझे।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण हमारे अभिलेख के अनुसार सही हैं।

बैंक की मुहर

दिनांक:

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

### प्रपत्र-10

कार्य-निर्वाह क्षमता प्रारूप का पत्र  
(तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करें)  
(गैर अदालती स्टांप पेपर पर निष्पादित करें)

राष्ट्रीय आवास बैंक की आरएफपी सं. ....के प्रति उद्धरण हेतु कार्य निर्वाह क्षमता का पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है हम.....(बोलीदाता का नाम लिखें) पता..... उपरोक्त आरएफपी में उल्लिखित सेवाओं के कार्यक्षेत्र शुरू करने एवं सफलतापूर्वक वितरित करने में पूर्णतया सक्षम है। यह प्रस्ताव आरएफपी के उद्देश्य एवं अनुभव इत्यादि जैसी अपेक्षाओं को पूर्णतया समझने के पश्चात तैयार किया जा रहा है।

हम प्रमाणित करते हैं कि इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में दी गई सभी सूचना सही एवं दोष रहित है।

**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

(नाम एवं पदनाम, कंपनी की मुहर)

दिनांक:

## प्रपत्र-11

### संकल्प मैट्रिक्स

(तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करें)

हम घोषणा करते हैं कि हम राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ हमारी सेवा संविदा के दौरान निम्नलिखित संकल्प मैट्रिक्स का पालन करेंगे।

स्थिति	सेवा प्रदाता का अपेक्षित प्रत्युत्तर
<b>त्वरित अपेक्षा:</b> एक दिन के भीतर आवश्यकता	पहले कॉल का त्वरित प्रत्युत्तर <ul style="list-style-type: none"><li>• जितनी जल्दी हो सके आपके स्थल में हमारा संसाधन</li><li>• 24x7 आधार पर निरंतर प्रयास</li><li>• हमारे वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों की सूचना</li></ul>
<b>महत्वपूर्ण अपेक्षा:</b> पांच दिनों के भीतर आवश्यकता	पहले कॉल का चार घंटे के भीतर प्रत्युत्तर <ul style="list-style-type: none"><li>• यथा अपेक्षित आपके स्थल में हमारा संसाधन</li><li>• 24x7 आधार पर निरंतर प्रयास</li><li>• हमारे वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों की सूचना</li></ul>
<b>औसत दर्जे की अपेक्षा:</b> पांच दिनों के भीतर आवश्यकता	पहले कॉल का दिन में प्रत्युत्तर <ul style="list-style-type: none"><li>• कार्य के घंटों में प्रयास</li></ul>

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम एवं पदनाम, कंपनी की मुहर)

दिनांक:

## प्रपत्र-12

(गैर अदालती स्टांप पेपर पर निष्पादित करें)

### सेवा स्तरीय करार

यह सेवा स्तरीय करार (इसके पश्चात 'करार' के तौर पर संदर्भित) राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अधीन गठित बैंक, जिसका अपना प्रधान कार्यालय तृतीय-पांचवा तल, कोर 5 ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में है (इसके पश्चात 'एनएचबी' कहा जाय, जिसमें वाक्यांश शामिल होगा, जहां भी संदर्भ इसके उत्तराधिकारियों को ऐसी अनुमति देता है एवं अनुमति दी गयी निर्दिष्ट करता है); एवं .....कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनी जिसका अपना पंजीकृत कार्यालय.....में है (इसके पश्चात 'सेवा प्रदाता' कहा जाय, जिसमें वाक्यांश शामिल होगा, जहां भी संदर्भ इसके उत्तराधिकारियों को ऐसी अनुमति देता है एवं अनुमति दी गयी निर्दिष्ट करता है)के बीच.....दिनांक.....माह, 201.....को किया गया।

(इसके पश्चात एनएचबी एवं सेवा प्रदाता सामूहिक रूप से 'पक्षों' एवं अलग-अलग रूप से 'पक्ष' के तौर पर संदर्भित किये जाते हैं)

जबकि

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक .....के लिए सेवा प्रदाता को पारिश्रमिक पर नियुक्त करना चाहता है जैसा .....दिनांक को प्रस्ताव हेतु अनुरोध सं. ....में वर्णित है। (इसमें जारी किया गया शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण शामिल है) (इसके पश्चात सामूहिक रूप से 'आरएफपी'के तौर पर संदर्भित (इसके साथ परिशिष्ट-1के तौर पर

संलग्न है)

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आरएफपी जारी करने की रीति से खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एवं इसके पश्चात बोलीदाताओं की तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोलियों द्वारा मूल्यांकन द्वारा चयनित होने के पश्चात सेवा प्रदाता ने स्वीकार/मान लिया है कि वह इस आरएफपी में निर्धारित निबंधन व शर्तों एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी कार्य आदेश देने की पत्र सं. ....दिनांक..... (एलओए) पर सेवाएं प्रदान करेगा।

(ग) सेवा प्रदाता ने स्वीकार एवं मान लिया है कि वह आरएफपी एवं एलओए की निबंधन व शर्तों के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

(घ) इस आरएफपी की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक एवं सेवा प्रदाता इसके पश्चात दिखाई देने वाली रीति में इस निश्चित सेवा स्तरीय करार को संपन्न करने के लिए सहमत हैं।

अतः अब पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित पर सहमत हैं:

## 1. सामान्य उपबंध

### 1.1 परिभाषाएं

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्द जहां भी इस संविदा में प्रयुक्त हुए हैं का निम्नलिखित अर्थ होगा:

(क) 'अनुप्रयोज्य कानून' से कानून एवं अन्य लिखित जो भारत में प्रवृत्त हैं जैसा वे समय-समय पर जारी एवं प्रवृत्त हो अभिप्रेत है।

(ख) 'प्रभावी तिथि' से वह तिथि अभिप्रेत है जिसको करार प्रवृत्त हुआ है एवं इससे संबंधित खंड 2.1 के अनुसार प्रभावी हुआ।

(ग) 'कार्मिक' से सेवा प्रदाता द्वारा कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया

गया /नियुक्त किया जाने वाला एवं सेवाओं अथवा तत्संबंधी किसी हिस्से के कार्य निष्पादन हेतु नियत किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है।

(घ) 'सेवाएं' अथवा 'कार्यक्षेत्र' से सेवा प्रदाता द्वारा निष्पादित किए जाने वाला कार्य एवं कार्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो आरएफपी के खंड 4 में वर्णित/निर्धारित है।

(ङ) 'तीसरे पक्ष' से राष्ट्रीय आवास बैंक एवं सेवा प्रदाता के अतिरिक्त कोई व्यक्ति अथवा संस्था अभिप्रेत है।

## 1.2 निवर्चन का सिद्धांत

इस संविदा के में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

क) सभी बड़े अक्षर जब तक कि इस संविदा में विशेष तौर पर परिभाषित न हो, का इस आरएफपी में उनको दिया गया अर्थ होगा।

ख) शब्द एवं संक्षिप्त शब्द जिन्हें तकनीकी अथवा व्यापार/वाणिज्यिक अर्थों में भली भांति जाना जाता है इस संविदा में ऐसे ही अर्थों के अनुरूप इस्तेमाल किये गये हैं।

ग) परिशिष्टों/अनुलग्नकों के साथ आरएफपी, एलओए एवं एनडीए इस करार के हिस्सा एवं खंड होंगे एवं सभी प्रयोजन एवं प्रभाव के लिए साथ-साथ पढ़े जाएंगे।

घ) आरएफपी, एलओए एवं इस करार में अंतर्विष्ट उपबंधों के बीच किसी विसंगति अथवा प्रतिकूलता के मामले में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ऐसी विसंगति अथवा प्रतिकूलता के सीमा तक राष्ट्रीय आवास बैंक की राय मान्य होगी एवं उक्त सेवा प्रदाता पर बाध्यकारी होगी।

## 1.3 प्रयोजन

1.3.1 एतद् द्वारा यह सहमति व्यक्त करते हैं कि सेवा प्रदाता राष्ट्रीय आवास बैंक को तृतीय-पांचवा तल, कोर-5ए, भारत पर्यावास केंद्र में स्थित

प्रधान कार्यालय एवं जंगपुरा एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110014 में स्थित अधिकारियों के आवास में बैंक के परिसर एवं संपत्तियों की 24x7 आधार पर बुनियादी सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करते हुए सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

### 1.3.2 कार्य क्षेत्र का कार्य निष्पादन

सेवा प्रदाता इस संविदा की अवधि के दौरान इस आरएफपी की शर्तों के अनुसार कार्यक्षेत्र में निर्धारित सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

### 1.3.3 संविदा की मियाद/अवधि

सेवा प्रदाता के साथ यह संविदा (प्रारंभ होने की तिथि).....से प्रभावी होकर.....वर्ष (अवधि) की अवधि के लिए होगी जब तक कि यह अवधि बैंक के विवेक पर इस करार के अनुसार आगे न बढ़ाई जाय। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि भुगतान उस तिथि से ही समानुपातिक आधार पर किया जाएगा जब कर्मचारीगण वास्तविक रूप से तैनात किए जाएंगे।

### 1.3.4 संविदा की कीमत

1.3.5 इस करार में वर्णित प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रदाता को न्यूनतम वेतन स्लैब, सेवा शुल्क इत्यादि के आधार पर मासिक प्रभारों का भुगतान किया जाएगा जो इस करार में अनुलग्नक क में प्रदान किया गया है, जिसकी गणना स्थानीय सरकार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) द्वारा निर्धारित प्रचलित न्यूनतम वेतन के अनुसार एवं इस करार के प्रभावी परिचालन के लिए सेवा प्रदाता द्वारा तैनात वास्तविक सुरक्षा गार्डों की संख्या के आधार पर की जाएगी। दूसरे माह से सेवा प्रदाता को भुगतान केवल तभी जारी किया जाएगा जब सेवा प्रदाता यह साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि उसने इस करार के तहत तैनात कर्मचारियों/कर्मियों के संबंध में पिछले माह का वेतन

एवं अन्य सांविधिक अभिदान का भुगतान कर दिया है। यदि सेवा प्रदाता पिछले माह के ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराता है तो बैंक के पास आगामी माह का भुगतान जारी न करने का अधिकार सुरक्षित है जब तक कि ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत न किए जायं।

सुरक्षा कर्मियों के प्रभार यथोचित ढंग से संशोधित किए जाएंगे जब भी संविदा की वैधता के दौरान सरकार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) द्वारा न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाय एवं ऐसे संशोधित दर उस तिथि से ही प्रभावी होगी जब यह समुचित ढंग से सरकार द्वारा अधिसूचित हो।

सेवा प्रदाता को इस करार के तहत सभी भुगतान सेवा प्रदाता से प्रासंगिक बिल की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर सेवा प्रदाता के पक्ष में क्रास चेक अथवा ऑनलाइन अंतरण के रीति से मासिक आधार पर किए जाएंगे।

#### **1.4 पक्षों के बीच संबंध**

इस करार में अंतर्विष्ट कुछ भी न होते हुए भी राष्ट्रीय आवास बैंक एवं सेवा प्रदाता के बीच स्वामी एवं नौकर अथवा एजेंट एवं मालिक का संबंध स्थापित करने वाला संबंध माना जाएगा। इस करार के अधीन सेवा प्रदाता के पास इन सेवाओं के कार्य निष्पादन के लिए सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त कर्मियों का पूरा प्रभार होगा एवं उनके द्वारा अथवा इसके अंतर्गत उनके ओर से यह कार्य निष्पादित किए जाने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

सेवा प्रदाता सुरक्षा गार्डों एवं सुपरवाइजर के लिए उनकी सेवाओं, भुगतान, उपस्थिति, चिकित्सा सेवा, अनुशासनात्मक विषय इत्यादि की निबंधन व शर्तों के संबंध में जिम्मेदार रहेगा। वे पूरी तरह से सेवा

प्रदाता के प्रशासनिक, वित्तीय नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहेंगे एवं किसी भी समय बैंक के कर्मचारियों के तौर पर नहीं समझे जाएंगे एवं बैंक की सेवाओं में नियमित होने का दावा नहीं करेंगे।

### **1.5 भाषा**

यह संविदा अंग्रेजी भाषा में निष्पादित की गयी है जो इस संविदा के अर्थ व निर्वचन से संबंधित सभी विषयों के लिए बाध्यकारी एवं नियंत्रित भाषा होगी।

### **1.6 शीर्षक**

शीर्षक इस संविदा के अर्थ को सीमित नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे अथवा प्रभावित नहीं करेंगे।

### **1.7 सूचना (नोटिस)**

1.7.1 इस संविदा के अनुसार दी जाने वाली अथवा दी गयी अपेक्षित अथवा अनुमत कोई सूचना, अनुरोध अथवा सहमति लिखित में होगी। ऐसी कोई सूचना, अनुरोध अथवा सहमति तभी दी गयी अथवा की गयी समझी जाएगी जब वह व्यक्तिगत रूप से पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि को सौंपी गयी हो जिसको पत्राचार संबोधित है अथवा जब ऐसे पक्ष को निम्नलिखित पते पर पंजीकृत ईमेल, टैलेक्स, टैलीग्राम अथवा फैक्स से भेजी गयी हो:

**राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए:**

ध्यान दें.....

फैक्स.....

**सेवा प्रदाता के लिए:**

ध्यान दें.....

फैक्स.....

1.7.2 सूचना निम्नानुसार प्रभावी समझी जाएगी:

(क) व्यक्तिगत सुपुर्दगी अथवा पंजीकृत मेल के मामले में सुपुर्दगी होने पर

(ख) टेलीग्राम के मामले में छयानबे (96) घंटे पारेषण की पुष्टि के पश्चात एवं

(ग) फैक्स के मामले में बहरतर (72) घंटे पारेषण की पुष्टि के पश्चात

1.7.3 पक्ष दूसरे पक्ष को इस खंड के अनुसार परिवर्तन की सूचना देते हुए अपना पता बदल सकता है।

## 1.8 अवस्थिति

यह सेवाएं दिल्ली अथवा स्वामी द्वारा ऐसे अपेक्षित/अनुमोदित स्थल पर निष्पादित की जाएगी।

## 1.9 सेवा प्रदाता का प्राधिकार

यह सेवा प्रदाता एतद् द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक से अनुदेश एवं भुगतान प्राप्त करने की बिना बाध्यता सहित इस संविदा के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति सेवा प्रदाता के सभी अधिकार एवं दायित्वों का प्रयोग करते हुए अपनी ओर से .....करने के लिए प्राधिकृत है।

## 1.10 प्राधिकृत प्रतिनिधि

इस संविदा के तहत की जाने वाली अपेक्षित अथवा अनुमत कोई कार्रवाई एवं निष्पादित की जाने वाली अपेक्षित अथवा अनुमत कोई दस्तावेज किए अथवा निष्पादित किए जा सकेगे:

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से ..... अथवा उसके निर्दिष्ट प्रतिनिधि द्वारा

(ख) सेवा प्रदाता की ओर से ..... अथवा उसके निर्दिष्ट प्रतिनिधि द्वारा

### 1.11 कर एवं शुल्क

सेवा प्रदाता एवं कर्मचारी इस करार के दौरान मौजूदा, संशोधित अथवा अधिनियम कानूनों के तहत लगाये गये अन्य अधिरोपण जीएसटी सहित करों का भुगतान करेगा एवं राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसे कर की कटौती के संबंध में ऐसे शुल्कों का निष्पादन करेगा जो विधिसम्मत लगाये जा सके।

## 2.0 संविदा का प्रारंभ, संपन्न होना, संशोधन एवं समापन

### 2.1 संविदा की प्रभावोत्पादकता

यह करार दोनो पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी होगा। यदि करार अलग-अलग तिथियों में हस्ताक्षरित होता है तो उक्त अंतिम पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तिथि से प्रभावी होगा।

### 2.2 सेवाओं का प्रारंभ

सेवा प्रदाता ये सेवाएं तुरंत यानि एलओए स्वीकार करने की तिथि अथवा ऐसी तिथि से जिसको पक्ष लिखित में सहमत हैं से शुरू होगा।

### 2.2 संविदा का अवसान

जब तक कि खंड 2.8 के अनुसार पूर्व में समाप्त न किया जाय यह संविदा समय की समाप्ति जैसा खंड 1.3.3 में वर्णित है को खत्म होगी।

### 2.3 पूरा करार

इस संविदा में पक्षों द्वारा सहमत सभी प्रसंविदाएं, शर्तें व उपबंध शामिल होंगे। किसी पक्ष को प्रतिनिधि बनाने का प्राधिकार नहीं है एवं पक्ष कोई

बयान, अभ्यावेदन, प्रतिज्ञा अथवा करार जो इस करार में निर्धारित नहीं है, करने के लिए वाध्य अथवा भागी नहीं होंगे।

## **2.4 संशोधन**

सेवाओं/कार्यक्षेत्र के किसी संशोधन सहित इस संविदा की निबंधन व शर्तों का संशोधन पक्षों के बीच लिखित करार से ही किया जाएगा एवं तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि पक्षों की सहमति प्राप्त न हो। हालांकि इस करार के खंड 5.2 के अनुसार प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा किए गये संशोधन का कोई प्रस्ताव पर उचित महत्व देगा।

## **2.7 आस्थगन (निलंबन)**

राष्ट्रीय आवास बैंक सेवा प्रदाता को निलंबन की लिखित सूचना देते हुए सेवा प्रदाता के सभी भुगतान रोक सकेगा यदि राष्ट्रीय आवास बैंक सेवा प्रदाता के कार्य निष्पादन से संतुष्ट नहीं है अथवा यदि सेवा प्रदाता सेवाओं का निर्वहन सहित इस संविदा के तहत अपने किसी दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहता है परंतु यह कि आस्थगन की ऐसी सूचना (i) विफल होने की प्रकृति विनिर्दिष्ट करेगी एवं (ii) सेवा प्रदाता को आस्थगन की ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात तीस (30) दिनों से अनधिक अवधि के भीतर ऐसी विफलता के उपाय प्रदान करने का अनुरोध करेगा एवं संविदा के कार्यनिष्पादन की गारंटी मांगेगा।

## **2.8 समापन**

### **2.8.1 राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा**

राष्ट्रीय आवास बैंक सेवा प्रदाता को कम से कम पंद्रह (15) कैलेंडर दिनों की लिखित सूचना देगा (ऐसी घटना को छोड़कर जो नीचे अनुच्छेद (एफ) में सूचीबद्ध है जिसके लिए कम से साठ (60) दिनों की लिखित सूचना देनी होगी) इस खंड 2.8.1 के अनुच्छेद (ए) से (एफ) में विनिर्दिष्ट

किसी प्रकार की घटना होने के पश्चात दी जाने वाली ऐसी सूचना से इस संविदा का समापन हो जाएगा:

(क) यदि सेवा प्रदाता ऐसी सूचना के प्राप्ति के तीस (30) दिनों के भीतर अथवा ऐसी अवधि के भीतर जो राष्ट्रीय आवास बैंक तत्पश्चात लिखित में अनुमोदित करे, इस करार के अंतर्गत अपने दायित्व जो इसके साथ-साथ-उपरोक्त खंड 2.7 के अनुसार आस्थगन की सूचना में विनिर्दिष्ट है, का निर्वहन करने में विफल रहने का उपाय करने में असफल रहता है;

(ख) यदि सेवा प्रदाता दिवालिय अथवा ऋणशोधनाक्षम हो जाता है अथवा अपने लेनदारों के साथ कर्ज के राहते के लिए करार संपन्न करता है अथवा देनदारों के लाभ के लिए किसी कानून का लाभ उठाता है अथवा परिसमापन का प्रापक पद चाहे अनिवार्य हो अथव स्वैच्छिक रूप से प्राप्त करता है;

(ग) यदि सेवा प्रदाता खंड-8 के अनुसार मध्यस्थ कार्यवाही के परिणामस्वरूप किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचने का अनुपालन करने में असफल रहता है;

(घ) यदि सेवा प्रदाता राष्ट्रीय आवास बैंक को ऐसा विवरण प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकार, दायित्व अथवा हितों पर भौतिक प्रभाव डालते हैं एवं जिसमें सेवा प्रदाता झूठा होना पाया जाता है:

(ङ) बैंक के संज्ञान में यह बात आने की दशा में कि सेवा प्रदाता द्वारा बोली दस्तावेज अथवा उसके बाद के पत्राचार में किया गया कोई अभ्यावेदन एवं/अथवा आश्वासन झूठा पाया जाता है एवं/अथवा सेवा प्रदाता/इसके कर्मचारीगण किसी धोखाधड़ी अथवा आपराधिक कृत्य में

पाये जाते हैं तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास संविदा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(च) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार एवं किसी कारण जो भी हो, के लिए इस संविदा को समाप्त करने का निर्णय लेता है।

### 2.8.2 अधिकार एवं दायित्वों का बंद (समाप्ति) होना

इस करार के अंतर्गत खंड-2.8.1 के अनुसार इस संविदा के समापन पर अथवा इस करार के अंतर्गत खंड-2.3 के अनुसार इस संविदा के अवसान पर इसके अधीन पक्षों के सभी अधिकार एवं दायित्व समाप्त हो जाएंगे, सिवाय:

- (क) ऐसे अधिकार एवं दायित्व जो समापन अथवा अवसान की तिथि प्रोद्भूत हुए,
- (ख) इस करार के साथ खंड 3.7 में निर्धारित गोपनीयता का दायित्व,
- (ग) कोई अधिकार जिसमें पक्ष अनुप्रयोज्य कानून के अंतर्गत हो,

### 2.8.3 सेवाओं का बंद (समाप्त) होना

खंड-2.8.1 के अनुसार सूचना द्वारा इस संविदा के समापन पर सेवा प्रदाता ऐसी सूचना के प्रेषण अथवा प्राप्ति पर सेवाएं बंद करने के लिए त्वरित और व्यवस्थित ढंग से अविलंब सभी आवश्यक कदम उठाएगा एवं इस प्रयोजन के लिए कम से कम खर्च करने का हर संभव युक्तियुक्त प्रयास करेगा।

### 2.8.4 समापन पर भुगतान

खंड-2.8.1 के अनुसार इस संविदा के समापन पर राष्ट्रीय आवास बैंक सेवा प्रदाता को निम्नलिखित भुगतान करेगा:

- (क) समापन की प्रभावी तिथि से पूर्व निष्पादित संतोषजनक सेवाओं

के लिए खंड-4 के अनुसार पारिश्रमिक;

(ख) समापन की प्रभावी तिथि से पूर्व वास्तविक रूप से प्रोद्भूत व्ययों के लिए खंड-4 के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य व्यय; एवं

(ग) खंड-2.8.1 के अनुच्छेद (क) से (घ) के अनुसार समापन की लागत को छोड़कर सेवा प्रदाता के कर्मचारियों एवं उनके पात्र आश्रितों के वापसी यात्रा की लागत सहित संविदा के त्वरित एवं क्रमबद्ध समापन की कोई युक्तियुक्त लागत की प्रतिपूर्ति।

### 3.0 सेवा प्रदाता के दायित्व

#### 3.1 कार्य-निष्पादन के मानक

(क) सेवा प्रदाता पेशेवर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मान्यताप्राप्त आमतौर पर स्वीकार किए गये मानदंडों एवं मानकों के अनुसार सम्यक उद्यम, दक्षता के साथ सेवाओं का निष्पादन एवं अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। सेवा प्रदाता इस संविदा अथवा सेवाओं से संबंधित किसी प्रकार के विषय के संबंध में हमेशा राष्ट्रीय आवास बैंक के निष्ठावान सलाहकार के तौर पर कार्य करेगा एवं बाहरी/अनाधिकार प्रवेश करने वाले लोगों से परिसर एवं संपत्तियों की हर समय रक्षा करेगा। सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों का दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अनुसार अद्यनीकृत अभिलेख (रिकार्ड) रखेगा एवं विभिन्न श्रम कानून यथा ईपीएफ अधिनियम, ईएसआई अधिनियम, उपदान अधिनियम, बोनस अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, ठेका श्रम (विनियम एवं उन्मूलन अधिनियम,) इत्यादि अथवा अपने कर्मचारियों के संबंध में किसी अन्य राज्य/संघ के विधान के तहत सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा एवं इन अभिलेखों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा जब भी बैंक इसकी मांग करे।

(ख) सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों द्वारा ऐसे कार्यभार एवं/अथवा चूक के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा जिसके कारण बैंक की

संपत्तियों/कर्मचारियों एवं/अथवा तीसरे पक्षों को हुई हानि एवं/अथवा क्षति हुई है ऐसी चूक एवं/अथवा कार्यभार से उत्पन्न सभी देयताओं की पूर्ति करेगा।

(ग) सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों की छुट्टी अथवा अनुपस्थिति पर अकेले निर्णय लेगा एवं जिम्मेदा होगा तथा बैंक सेवा प्रदाता के कर्मचारियों को छुट्टी इत्यादि स्वीकृत करने के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(घ) सेवा प्रदाता सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात अपने कर्मचारियों का समुचित अभिलेख/विवरण रखेगा। वह बैंक को अपने तैनात कर्मचारियों एवं उनमें प्रत्येक के दावाकृत भुगतान का विवरण देते हुए मासिक बिल प्रस्तुत करेगा। हालांकि यदि बैंक द्वारा बिल में कोई विसंगति पाई जाती है तो सेवा प्रदाता द्वारा विसंगतियों का निवारण करने की तिथि से चार दिनों के भीतर सेवा प्रदाता को भुगतान जारी किया जाएगा।

(ङ.) सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों के भुगतान एवं अन्य सांविधिक देय राशि जैसे वेतन/मजदूरी, बोनस, बकाया, ओवरटाइम, रोजगार/समय-समय पर लाभ, मुआवजा अथवा अन्य दावे जिस भी प्रकृति के हों, के भुगतान के लिए पूर्णतया एवं अकेला जिम्मेदार होगा एवं बैंक ऐसे विषयों के संबंध में कोई देयता का वचन नहीं देगा।

(च) सेवा प्रदाता के कर्मचारी किसी भी परिस्थिति में बैंक के साथ किसी रोजगार से संबंधित दावे नहीं करेगे। सेवा प्रदाता तैनात किए गये अपने प्रत्येक कर्मचारियों से लिखित वचन/घोषणा प्राप्त करेगा एवं रखेगा कि वह सेवा प्रदाता का स्थायी कर्मचारी है एवं मूल प्रति में लिखित वचन बैंक को देना होगा कि वह कहां तैनात है।

(छ) सेवा प्रदाता एतद् द्वारा यह वचन देगा कि वह अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं केंद्र/राज्य सरकारों के अधिनियमन

के अनुसार समय-समय पर प्रवृत्त एवं संशोधित/आशोधित अथवा परिशोधित अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुसार मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करेगा।

(ज) सेवा प्रदाता एतद् द्वारा यह वचन देगा कि संविदाकृत राशि पर अनुवृद्धि/अतिरिक्त भुगतान, जो इस करार की मुद्रा के दौरान बाहरी कारणों के कारण उत्पन्न हो, का अकेले सेवा प्रदाता वहन करेगा एवं बैंक संशोधित मूल वेतन, वीडिए एवं सांविधिक देयों यानि ईपीएफ उपदान, बोनस, ईएसआई एवं ईडीएलआई इसके विपरीत संशोधन से पूर्व दर के परिणामस्वरूप अंतर व सेवा कर में अंतर के अलावा कोई अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(झ) सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों को मासिक वेतन कर्मचारियों के किसी बैंक में चल रहे बचत खाते में जमा करेगा।

(ञ) सेवा प्रदाता बैंक से प्राप्त सभी भुगतानों के लिए मुद्रित रसीदें प्रस्तुत करेगा। सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों को वेतन के संवितरण के एक सप्ताह के भीतर उन्हें अदा किए गये वेतन का साक्ष्य एवं मासिक आधार पर संबंधित प्राधिकरणों को अदा की गयी सांविधिक राशि का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। सेवा प्रदाता द्वारा बैंक में तैनात अपने कर्मचारियों को मासिक वेतन/सांविधिक देयों के भुगतान न होने पर यह संविदा अमान्य हो जाएगी एवं इसके परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से बैंक के साथ यह संविदा समाप्त हो जाएगी व इसके पश्चात बैंक को सेवा प्रदाता को कोई भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा।

### 3.2 संविदा को नियंत्रित करने वाले कानून

सेवा प्रदाता अनुप्रयोज्य कानूनों के अनुसार इस कार्य का निष्पादन करेगा एवं ऐसे सभी व्यावहारिक कदम उठायेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सेवा प्रदाता के कर्मचारी अनुप्रयोज्य कानून का अनुपालन कर रहे हैं।

### 3.4 हितों का टकराव

सेवा प्रदाता भविष्य के कार्यों पर बिना कोई विचार किए राष्ट्रीय आवास बैंक के हित को सर्वोपरि मानेगा एवं अन्य नियत कार्यों अथवा कार्पोरेट हितों के टकराव से पूरी तरह बचेगा।

### 3.4 सेवा प्रदाता द्वारा कमीशन, छूट इत्यादि का लाभ न उठाना

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा सेवा प्रदाता को किया गया भुगतान इस संविदा अथवा इन सेवाओं के संबंध में केवल सेवा प्रदाता का भुगतान माना जाएगा एवं सेवा प्रदाता अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी व्यापार का कमीशन, छूट अथवा इस संविदा अथवा इन सेवाओं के अनुसार क्रियाकलापों के संबंध में अथवा इस संविदा के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में इसी तरह के भुगतान स्वीकार नहीं करेगा एवं सेवा प्रदाता अपने बेहतर प्रयासों का इस्तेमाल करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसी तरह उसके कर्मचारी ऐसा कोई अतिरिक्त भुगतान प्राप्त न करे।

**3.5 सेवा प्रदाता एवं सहयोगी को परियोजना में अन्यथा की रूचि न हो**  
सेवा प्रदाता यह स्वीकार करेगा कि इस संविदा की अविध एवं इसके समापन के दौरान, सेवा प्रदाता एवं उसके सहयोगियों को इस परियोजना की तैयारी अथवा कार्यान्वयन के लिए सेवा प्रदाता की सेवाओं से अथवा के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से वस्तु, कार्य अथवा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

### 3.6 टकराव की गतिविधियों का निषेध

सेवा प्रदाता एवं उसके सहयोगी ऐसे किसी करोबार अथवा पेशेवर गतिविधियों में या तो प्रत्यक्ष तौर अथवा अप्रत्यक्ष तौर शामिल नहीं होंगे जो इस संविदा के तहत उनको सौंपी गई गतिविधियों के प्रतिकूल

हो। सेवा प्रदाता एवं प्रस्तावित कार्य की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त उसके सहयोगी इसके बाद ऐसी ही परियोजना के प्रारंभिक कार्य से संबंधित सेवाओं के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

### **3.7 गोपनीयता**

सेवा प्रदाता एवं इसके कर्मी राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना या तो इस संविदा की अवधि के दौरान अथवा समापन के पश्चात परियोजना, इस सेवा, इस कार्य अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक के कारोबार अथवा परिचालन से संबंधित कोई मालिकाना अथवा गोपनीय जानकारी का विगोपन नहीं करेगा।

### **3.8 सेवा प्रदाता द्वारा किये जाने वाला बीमा**

सेवा प्रदाता इन सेवाओं से उत्पन्न अथवा संबंध में किसी व्यक्ति की चोट के लिए सभी हानि, लागत एवं प्रभार एवं व्यय अथवा कोई संपत्ति की हानि जो इस कार्य में सेवा प्रदाता अथवा उनके कर्मचारियों की चूक के परिणामस्वरूप हुई है, के प्रति दायित्वों की क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए यथोचित संविदात्मक देयता कवरेज सहित सभी जोखिम एवं सभी के लिए बीमा कवरेज जैसे कर्मचारियों को मुआवजा, इस कार्य पर नियुक्ति सभी कर्मचारियों के लिए रोजगार देयता बीमा, सर्वग्राही सामान्य देयता बीमा के लिए अपनी स्वयं की लागत पर यथोचित बीमा करेगा।

### **3.9 सेवा प्रदाता की देयता**

सेवा प्रदाता इस संविदा के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को सेवाओं का निष्पादन करने एवं निम्नलिखित बाध्यताओं के अधीन ऐसे कार्य निष्पादन में सेवा प्रदाता की चूक के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आवास बैंक को हुए किसी हानि के लिए उत्तरदायी होगा।

### **3.10 सेवा प्रदाता द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक की क्षतिपूर्ति**

सेवा प्रदाता राष्ट्रीय आवास बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा एवं इस कार्य की अवधि में अथवा इस कार्य की अवधि के पश्चात दोनों में राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा किसी तीसरे पक्ष द्वारा झेली गयी कानूनी शुल्क एवं व्यय सहित लेकिन सीमित नहीं, सभी हानि, क्षति, चोट, मृत्यु, व्यय, कार्रवाई, कार्यवाही, मांग, लागत एवं दावों के प्रति पूर्णतया अथवा प्रभावी रूप से क्षतिपूरित जहां ऐसी हानि, क्षति, चोट (i) सेवा प्रदाता अथवा उसके कर्मियों द्वारा अनुचित कार्रवाई, घोर उपेक्षा अथवा कोई गोपनीयता का कोई उल्लंघन सहित संविदा का उल्लंघन एवं/अथवा (ii) अथवा सेवा प्रदाता अथवा उसके कर्मियों के कारण कोई उपेक्षा अथवा घोर कदाचार; एवं/अथवा (iii) कर्मचारियों द्वारा किया गया कोई दावा जो सेवा प्रदाता द्वारा बैंक में तैनात किए गये हैं; एवं/अथवा (iv) रोजगार से पैदा होने वाला कोई दावा, सेवा प्रदाता द्वारा अपने कर्मचारियों को कानूनों/विभिन्न श्रम कानूनों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान न करना एवं लाभ के प्रावधान न होना से राष्ट्रीय आवास बैंक, इसके कर्मचारियों, कर्मियों, अधिकारियों एवं निदेशकों को सुरक्षित रखेगा।

### **3.11 सेवा प्रदाता की कार्रवाईयों के लिए मालिक की पूर्व अनुमोदन की आवश्यक**

सेवा प्रदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना सेवाओं के किसी हिस्से के कार्य निष्पादन के लिए उप संविदा संपन्न नहीं करेगा। हालांकि सेवा प्रदाता सेवाओं के किसी हिस्से को क्रियान्वित करने के लिए कर्मियों की सेवाएं ले सकता है। सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों द्वारा इस संविदा के सेवाओं के निष्पादन के लिए पूर्णतया उत्तरदायी रहेगा।

### **3.12 सेवा प्रदाता के कर्मी**

सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना/संविदा में उसके द्वारा नियुक्त कर्मी/कर्मचारी इस आरएफपी में निर्धारित यथोचित योग्यता एवं क्षमता रखते हैं तथा हर तरह से राष्ट्रीय आवास बैंक को स्वीकार्य हैं। ऐसा कोई कर्मी अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे देता है एवं सेवा प्रदाता को छोड़ देता है तो सेवा प्रदाता राष्ट्रीय आवास बैंक को उसके बदले में उसी तरह की जानकारी व अनुभव रखने वाला राष्ट्रीय आवास बैंक को स्वीकार्य दूसरा कर्मचारी उपलब्ध कराएगा।

सेवा प्रदाता सभी अनुप्रयोज्य श्रम कानूनों एवं सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं एवं नियुक्त कर्मियों के संबंध में ऐसे अन्य कानूनों का कड़ाई से पालन करेगा एवं वह इस तरह नामांकित उक्त कर्मियों के सभी कृत्यों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा एवं बैंक व सेवा प्रदाता द्वारा इस तरह नियुक्त उक्त कर्मियों के बीच किसी प्रयोजन एवं किसी आशय के लिए संविदा का कोई संबंध नहीं होगा।

सेवा प्रदाता इस कार्य के तहत सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त अपने कर्मियों/कर्मचारियों के संबंध में कानूनों के तहत सभी सांघिक कटौतियां करने के लिए उत्तरदायी होगा। सेवा प्रदाता किसी प्रकार के ऐसे दावों के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होगा जो सांघिक प्राधिकरणों द्वारा इस कार्य के तहत कार्य का निष्पादन करने में सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त अपने कर्मी/कर्मचारियों से संबंधित अभिदान के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक के विरुद्ध किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक स्रोत पर ऐसी कर कटौती करने के लिए प्राधिकृत है जो सेवा प्रदाता को किये जाने वाले भुगतान के संबंध में प्रवृत्त कानून/नियमों के अनुसार आवश्यक हो।

### **3.13 इस करार का हस्तांतरण**

सेवा प्रदाता अपने स्वामित्व में कोई बदलाव के बारे में बैंक को सूचित करेगा। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि वह बहुत सावधानी से राष्ट्रीय आवास बैंक की हितों की रक्षा करेगा। यदि राष्ट्रीय आवास बैंक सेवा प्रदाता के स्वामित्व के बदलाव से अथवा नये स्वामी से संतुष्ट नहीं होता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समापन करने का अधिकार होगा एवं ऐसी अवस्था में समापन पर कोई भुगतान यदि कोई हो, खंड 2.8.4 के अनुसार किया जाएगा।

#### **4.0 राष्ट्रीय आवास बैंक के दायित्व**

##### **4.1 प्रतिफल:**

इस करार के तहत सेवा प्रदाता द्वारा निष्पादित सेवाओं को देखते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक सेवा प्रदाता को ऐसा भुगतान एवं ऐसे तरीके में करेगा जो इस करार के खंड 1.3.4 में विनिर्दिष्ट है।

#### **5 निष्पक्षता एवं सद्भाव**

##### **5.1 सद्भाव**

पक्ष इस संविदा इस संविदा के तहत एक दूसरे के अधिकारों के संबंध में एवं इस संविदा के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सद्भाव से काम करने का वचन देते हैं।

##### **5.2 संविदा का परिचालन**

पक्ष मानते हैं कि इस संविदा में हर आकस्मिकता उपलब्ध कराना अव्यावहारिक है जो इस संविदा के अवधि के दौरान उभरे एवं पक्ष एतद् द्वारा स्वीकार करते हैं कि उनका आशय यह है कि यह संविदा उनके बीच उचित रूप से एवं उनमें से किसी एक के हितों की हानि के संचालित होगी एवं यह कि यदि इस संविदा की अवधि के दौरान कोई

पक्ष यह मानता है कि यह संविदा उचित ढंग से संचालित नहीं हो रही है तो पक्ष ऐसी कार्रवाई पर सहमत होने के लिए अपने बेहतर प्रयासों का उपयोग करेंगे जो ऐसे अनौचित्य के कारण अथवा कारणों को दूर करने के लिए आवश्यक हों लेकिन इस खंड के अनुसार कोई कार्रवाई पर सहमत होने पर विफल रहने पर इसके साथ खंड-7 के अनुसार मध्यस्थ के अधीन विवाद को बढ़ावा देगा।

### 5.3 पृथक्करणीयता

इस करार का प्रत्येक खंड स्वतंत्र रूप से लागू करने योग्य है। यदि इस करार का कोई खंड किसी कारण से लागू करने योग्य न हो तो यह अन्य खंडों की प्रवर्तनशीलता को प्रभावित नहीं करेगा।

### 6.0 अधिकार क्षेत्र एवं अनुप्रयोज्य कानून

इस करार से जुड़े सभी विषय सहित यह करार तत्समय प्रवृत्त भारत के कानूनों (मूल एवं प्रक्रियात्मक दोनों) द्वारा नियंत्रित होंगे एवं दिल्ली भारतीय न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

### 7.0 विवादों का निपटारा

सभी विवाद एवं/अथवा विसंगतियां जो इस करार के संबंध अथवा तत्संबंधी उल्लंघन के सिलसिले में पैदा हो, का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाएगा। हालांकि यदि पक्ष अनुचित देरी के बिना उनका सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने में समर्थ नहीं है तो उक्त का निपटारा भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (यथा समय-समय पर संशोधित) के अधीन नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। मध्यस्था न्यायाधिकरण में एकमात्र यानि कार्यपालक निदेशक (राष्ट्रीय आवास बैंक के .....विभाग के प्रभार में) द्वारा नियुक्त 1 (एक)

मध्यस्थ होगा। मध्यस्थ की नियुक्ति एक पक्ष का दूसरे पक्ष को लिखित रूप में मध्यस्थ के लिए पहली संस्तुति की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर की जाएगी। इसके अनुसार तय किया गया मध्यस्थ अंतिम होगा एवं पक्षों को बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ की सभी लागतें पक्ष समान रूप से वहन करेंगे।

कुछ भी न होते हुए भी यह स्वीकार किया जाता है कि सेवा प्रदाता मध्यस्था कार्यवाही के दौरान इस करार के तहत कार्य जारी रखेगा यथा स्थिति जब तक कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लिखित में अन्यथा निर्देशित न किया जाय अथवा जब तक मामला ऐसा न हो कि कार्य जारी रखना संभव न हो जब तक कि मध्यस्थ का निर्णय प्राप्त न हो।

जिसकी की भी गवाही में पक्ष उपरोक्त पहले लिखे गये दिनांक एवं वर्ष को अपने संबंधित नामों में इस संविदा में हस्ताक्षर करने के लिए राजी हुए।

कृते एवं राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वामी) की ओर से

.....द्वारा

प्राधिकृत प्रतिनिधि

कृते एवं ..... (सेवा प्रदाता) की ओर से

.....द्वारा

प्राधिकृत प्रतिनिधि

स्थान:

दिनांक:

(बैंक गारंटी का प्रारूप)

(गैर अदालती स्टांप पेपर पर निष्पादित करें)

सेवा में

राष्ट्रीय आवास बैंक

.....

राष्ट्रीय आवास बैंक (इसके पश्चात 'एनएचबी' के तौर पर संदर्भित जो जब तक कि इसमें शामिल इसके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि एवं समनुदेशितियों के संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल व्यक्त न हो) जिसने मैसर्स.....

जिसका.....में पंजीकृत कार्यालय है (इसके पश्चात 'सेवा प्रदाता' के तौर पर संदर्भित जो जब तक कि इसमें शामिल इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, प्रतिनिधि एवं समनुदेशितियों के संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल व्यक्त न हो) को नियत कार्य प्रदान किया है, को देखते हुए.....('आरएफपी') एवं दिनांक.....सेवा स्तरीय करार ('एसएलए') (इसके पश्चात आरएफपी एवं एसएलए साथ-साथ 'संविदा' के तौर पर संदर्भित हो) में निर्धारित निबंधन व शर्तों पर सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने की संविदा की है। सेवा प्रदाता संविदा के तहत बैंक गारंटी के स्वरूप में राशि.....(शब्दों में) के मूल्य की वारंटी दायित्व/ देयता सहित संविदा की शर्तों के अनुसार सेवाओं की भरोसेमंद कार्य निष्पादन हेतु कार्य निष्पादन बैंक गारंटी उपलब्ध कराने के लिए सहमत है।

हम.....(नाम).....(पता)

(इसके पश्चात 'बैंक' के तौर पर संदर्भित जिसमें जो जब तक कि इसमें

शामिल इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, प्रतिनिधि एवं समनुदेशितियों के संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल व्यक्त न हो) एतद् द्वारा अपरिहार्य रूप से गारंटी देते हैं एवं बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना किसी आपत्ति तथा किसी भी अन्य स्रोत का जिक्र किए बिना.....(तिथि/माह/वर्ष) तक किसी भी समय पर इस संविदा के तहत सेवाओं के गैर निष्पादन सहित उक्त संविदा की किसी निबंधन व शर्तों के उक्त सेवा प्रदाता द्वारा कोई उल्लंघन के कारण सेवा प्रदाता द्वारा देय कोई व सभी राशि का केवल मांग किए जाने पर राष्ट्रीय आवास बैंक को भुगतान करने का वचन देते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बैंक पर की गई कोई ऐसी मांग किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ अथवा कोई अन्य प्राधिकरण के समक्ष उठाये गये/लंबित कोई विवाद होते हुए भी निर्णायक एवं बाध्यकारी, पूर्ण व सुस्पष्ट होगी। बैंक यह स्वीकार करता है कि इसमें अंतर्विष्ट गारंटी राष्ट्रीय आवास बैंक को पूरी तरह भुगतान किए जाने एवं दावे पूरे होने तक अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इस गारंटी के उन्मोचन तक यह राशि प्रवर्तनीय होना जारी रहेगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सेवा प्रदाता द्वारा कार्य निष्पादन का समय बढ़ाने के लिए समय-समय पर इस गारंटी के तहत बैंक की देयता को किसी भी प्रकार से प्रभावित किए बिना पूरी स्वतंत्रता होगी। बैंक उपरोक्त विषय के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक के स्वतंत्रता के किसी प्रयोग द्वारा इन दस्तावेजों के तहत अपनी देयताओं से मुक्त नहीं होगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास इस गारंटी को प्रभावित किए बिना समय-समय पर उनमें विहित कोई शक्तियों अथवा कोई अधिकार जो उनके पास सेवा प्रदाता के विरुद्ध है, का प्रयोग करने एवं किसी भी रीति में उक्त का प्रयोग करने या तो राष्ट्रीय आवास बैंक एवं सेवा प्रदाता के बीच संविदा में अंतर्विष्ट अथवा निहित कोई प्रसंविदा अथवा राष्ट्रीय

आवास बैंक को उपलब्ध कोई अन्य विषय अथवा उपाय अथवा सुरक्षा को लागू करने अथवा लागू करने में संयम रखने की पूरी स्वतंत्रता होगी एवं उपरोक्त विषय अथवा उनमें से कोई अथवा कोई अन्य कृत्य के कारण अथवा समय बरतने अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से चूक अथवा कार्यभार का कोई कृत्य अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा देख गया कोई अन्य अनुग्रह अथवा कोई अन्य विषय अथवा बात जो भी कनून के अधीन होगी, के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक की अपनी स्वतंत्रता द्वारा किसी प्रयोग से इन दस्तावेजों के तहत अपनी दायित्वों/देयताओं से बैंक मुक्त नहीं होगा लेकिन इस उपबंध के लिए बैंक गारंटी कार्य मुक्त करने का प्रभाव से युक्त होगी। बैंक यह भी वचन देता है कि वह राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व सहमति के बिना इसकी मुद्रा के दौरान इस गारंटी को वापस नहीं लेगा।

बैंक यह भी स्वीकार करता है कि सेवा प्रदाता की ओर से अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने पर जैसा उपरोक्त है एवं/अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक को बैंक द्वारा देय राशि पर राष्ट्रीय आवास बैंक का निर्णय बैंक को अंतिम, निर्णायक व बाध्यकारी होगा।

बैंक यह भी स्वीकार करता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विकल्प पर बैंक के विरुद्ध कोई अन्य जमानत अथवा गारंटी जो सेवा प्रदाता की देयताओं के संबंध में हो, में कुछ भी न होते हुए भी पहली घटना में मुख्य ऋणी के तौर पर इस गारंटी को लागू करने के हकदार होगा।

बैंक अथवा सेवा प्रदाता(ओं) के गठन में कोई बदलाव होने पर यह गारंटी उन्मोचित नहीं होगी।

इसमें अंतर्विष्ट कुछ भी न होते हुए भी:

(क) इस बैंक गारंटी के तहत हमारी देयता.....(शब्दों में) से अधिक नहीं होगी।

(ख) यह बैंक गारंटी.....तक वैध रहेगी; एवं

(ग) हम केवल गारंटीकृत राशि अथवा इस बैंक गारंटी के तहत तत्संबंधी कोई हिस्से का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं एवं तभी यदि आप .....को अथवा उससे पूर्व लिखित में हमें दावे अथवा मांग की कानूनी कार्रवाई करें।

(हस्ताक्षर)

पदनाम/कर्मचारी कोड संख्या

बैंक की मुहर

अधिवक्ता, वकालतनामा सं. दिनांक के अनुसार